

प्रपत्र-“क”
(नियम 7 देखिये)
सम्पत्ति कर स्वःनिर्धारण प्रपत्र
(अधिनियम की धारा 207-क)

- क. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
- (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....
- (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....
- (चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- (पाँच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता.....
- (छ:) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....
- ख. निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी व्यौरा
 - (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम
(वर्ग फुट में).....
 - (दो) समस्त बालकनी, कारीडर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....
 - (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....

टिप्पणी—स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिंग्स और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग. भवन का कारपेट एरिया—

$$= \text{ख} \text{ (एक)} + 1/2 \text{ ख} \text{ (दो)} + 1/4 \text{ ख} \text{ (तीन)}$$

घ. (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में).....

(दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में).....

ड. (क) भवन अवस्थित है

(i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

(i) पक्का भवन, आर०सी०सी० छत या आर०बी० छत सहित

(ii) अन्य पक्का भवन

(iii) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है

(i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी—कृपया उपर्युक्त (एक), (दो) या (तीन) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।

च. भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी—यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे "खाली" उल्लिखित किया जायेगा;

छ. भवन के निर्माण का वर्ष.....

ज. (एक) *[नगर आयुक्त] द्वारा भवन के लिये निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रुपये.....प्रति वर्ग फुट।

(दो) [नगर आयुक्त] द्वारा भूमि के लिये निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो रुपये.....प्रति वर्ग फुट।

'[(झ) (एक) भवन का वार्षिक मूल्य= $12 \times$ मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर \times भवन का कारपेट एरिया= $12 \times$ (च) (आई) \times (सी०)

या

= $12 \times$ नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर \times आच्छादित क्षेत्रफल \times 80%

(दो) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हों = $12 \times$ [नगर आयुक्त] द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भूमि का क्षेत्रफल = $12 \times$ ज(2) \times घ (2)

(ट) (एक) स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का मूल्य, धारा 174 (2) (क) में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात।

(दो) किराये पर होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य, धारा 174 (2) (ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि करने के पश्चात।

(ठ) (i) भवन का सामान्य कर = (में यथा अवधारित वार्षिक मूल्य) \times सामान्य कर दर / 100

(ii) भवन का जल कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times की जलकर दर / 100

(iii) भवन का जल निस्सारण कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times की जल निस्सारण दर / 100

(iv) भवन का स्वच्छता कर में यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times स्वच्छता कर की दर / 100

(ड) भूमि पर सामान्य कर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = झ (दो) में यथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य \times सामान्य कर दर / 100

(ढ) [नगर आयुक्त] द्वारा कर जमा करने के लिये निर्धारित नियत दिनांक..

* अधिसूचना सं० यू० ३० २०४/९-७-२००२-६३ज/९५ टी०सी० दिनांक १० जनवरी २००३ द्वारा शब्द "मुख्य नगर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "नगर आयुक्त प्रतिस्थापित हुआ जो उ०प्र० सरकारी गजट भाग-१-के दिनांक २९ मार्च, २००३ में प्रकाशित हुआ।

1. अधिसूचना सं० यू० ३० २०४/९-७-२००२-६३ज/९५ टी०सी० दिनांक १० जनवरी २००३ द्वारा खण्ड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ण) जमा किये गये कर का विवरण

क्रम सं०	कर	राशि	दिनांक	चालान संख्या	बैंक का नाम
1	सामान्य कर				
2	जल कर				
3	जल निस्सारण कर				
4	स्वच्छता कर				

सत्यापन

मैं एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये व्यौरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण हैं।

दिनांक.....	हस्ताक्षर.....
अनुप्रमाणक साक्षी.....	स्थायी पता.....
हस्ताक्षर.....	
नाम.....	
पिता-माता का नाम.....	
पूरा पता.....	